संख्या-009/सीआरडी/025
भारत सरकार
केन्द्रीय सतर्कता आयोग
*****

सतर्कता भवन, ब्लॉक-ए,
जी.पी.ओ. काम्पलेक्स,
आई.एन.ए., नई दिल्ली
दिनांक : 16.03.2010

परिपत्र सं0 34-12-09

विषय: न्यायालयिक विज्ञान (फोरेन्सिक साईन्स) - सामर्थ्य

न्यायालयिक विज्ञान जटिल आपराधिक तथा दीवानी विवादों का समाधान करने में मदद करता है । कई व्यावसायिक संगठन न्यायालयिक जांच हाथ में लेते हैं जो महत्वपूर्ण आपराधिक तथा दीवानी विवादों एवं मामलों का समाधान करने के लिए उपयोगी हो सकते हैं ।

2. आयोग ने देखा है कि न्यायालयिक विज्ञान के क्षेत्र में व्यावसायिक संगठनों, लाभ निरपेक्ष संगठनों के पास ऐसे कौशल तथा उपाय हैं जो अन्वेषण के लिए महत्वपूर्ण हो सकते हैं । न्यायालयिक जांच किया जाना आवश्यक समझे गए मामलों में एक निश्चित निष्कर्ष पर पहुँचने के लिए कठिन तथ्यों को सुनिश्चित करने के लिए संगठन न्यायालयिक उपायों तथा सुविज्ञता के प्रयोग के माध्यम से अपने अन्वेषणों की गुणवत्ता में सुधार कर सकते हैं । ऐसे व्यावसायिक संगठन द्वारा उनकी सेवा के सामर्थ्य, गुणवत्ता तथा समय पर वितरण के अपने आकलन के आधार पर संगठन अपना निर्णय स्वंय ले सकते हैं ।

3. यह परामर्शी (advisory) केवल सूचना के लिए जारी की जा रही है ।

ह0/-
(विनीत माथुर)
निदेशक

सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों/बैंकों/संगठनों के सभी मुख्य सतर्कता अधिकारी